2017/00200

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
28-02-18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष पर शास्ति आरोपित की गई है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुना गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी:– श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 25/2017

अनवान :–

महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

...प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री मुकेश पुत्र राजाराम जाति नायक (विक्रेता) मैसर्स मनोज सुखेजा, श्रीगंगानगर मेन रोड़ अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

... अप्रार्थी

::प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (II) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011::

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष श्री महमूद अली, खा.सु. अधिकारी
2. अप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थिति नहीं।

–: निर्णय :– दिनांक : 28.02.2018

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने कि दिनांक 16.05.2015 को अप्रार्थीपक्ष मुकेश पुत्र राजाराम जाति नायक (विक्रेता) मैसर्स मनोज सुखेजा, श्रीगंगानगर मेन रोड़ अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे डिफ्रिजर में लगभग 500 नग आईसकेण्डी आम जनता को विक्रय किया जा रहा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त आईसकैण्डी में से 24 नग (1200 मिली.) आईसकैण्डी वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय किया जिसकी कीमत रूपये 64/– रूपये श्री गोपाल कृष्ण शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता श्री मुकेश पुत्र राजाराम को नगद देकर माल खरीद रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर आईसकैण्डी को चार बराबर बराबर भागों में बांटकर चार साफ–सूखे एवं खाली कांच शीशी में फॉर्मेलिन की बूंदे डालकर उक्त आईसकैण्डी को पैक करके एक सीलबन्द किया गया जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करायें गये। सीलबन्द की गई एक शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 27.07.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें आईसकैण्डी सबस्टेण्डर्ड का पाया गया प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड आईसकैण्डी का निर्माण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी पक्ष द्वारा नोटिस लेने से इन्कारी रिपोर्ट पर अप्रार्थी श्री मुकेश पुत्र राजाराम मैसर्स मनोज सुखेजा, निवासी अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर के विरूद्ध अनुपस्थित रहने परं प्रार्थी पक्ष का इकतरफा कथन सुना गया ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि इस मामले में श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) द्वारा अप्रार्थी के यहां नियमानुसार तरीके से आईसकैण्डी का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Total Sugar expressed as Sucrose. 10% की तुलना में 4.11 प्रतिशत का पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां आईसकैण्डी सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ईकतरफा कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur क्रमांक एलएस/1028/एक्ट/2015/582 दिनांक 27.07.2015 की रिर्पोट संलग्न है इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया आईसकैण्डी में Total Sugar expressed as Sucrose 10% की तुलना में 4.11 प्रतिशत है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सब–स्टेण्डर्ड होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड आईसकैण्डी विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों पर हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर धारा 51 के तहत 25,000/– (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner